महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2021 / 2049-54 दिनांक: 13.12.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य
धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल
ग्रा0–चिटौली फतेहगंज (प0), बरेली।

विषयः धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, ग्रा0–चिटौली फतेहगंज (प0), बरेली को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020–21 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा 37 (2) में निहित व्यवस्था के क्रम में आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–L-14014/15/2020-EP-I दिनांक 24.03.2021 एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 13.12.2021 द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में **धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल, ग्रा0–चिटौली फतेहगंज (प0), बरेली** को **बी0ए0एम0एस0** पाठ्यक्रम में **स्थायी सम्बद्धता सत्र 2020–21** से निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा।
02. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति कर लेगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
03. संस्था, शासनादेश सं0 2951 / सत्तर–2–2013–16(11) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
04. मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध के शासनादेश सं0 522 / सत्तर–2–2013–2(652) / 2012 दिनांक 30 जुलाई, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय को करना होगा।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
06. संस्था में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
07. संस्था को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. संस्थान आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
09. सीटों का निर्धारण आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ही किया जायेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
4. निजी सचिव, कुलपति ।
5. प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर सेन्टर / प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव